

03/3/22

पञ्जावली पेसा स्टूड। वकील प्राची ठाठ
उपस्थित। आधेवक्ता प्राची ठाठ
ने अवगत कराया कि प्रकरण में
पक्षकारान का राजीनामा हो गया
है। इसलिये उक्त प्राठपत्र को
आगे नहीं चलाना चाहते हैं।
प्राठपत्र खारिज कर दिया जावे।
नल: आधेवक्ता के निवेदन पर
प्राठपत्र 021 R 97 CPC खारिज
किया जाता है। मिसल दुर्जनवर
से कम होकर दारिखलफर हो।

SV

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी



पक्षकारान का

राजीनामा

हो चुका

है।
इसलिये प्राठपत्र

खारिज कर

दिया

जावे।
मिसल दुर्जनवर

से कम होकर